चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 50 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
(1). चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0 श्री शनि कुमार चतुर्वेदी मय हमराह आरक्षी विपिन कुमार, आरक्षी दीप प्रताप सिंह व आरक्षी सचीन द्वारा अभियुक्त रामहित पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी बीना पुरवा मजरा ऐंचवारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 25 अदद क्वार्टर देशी शराब मस्तीहू के साथ गिरफ्तार किया गया।
(2). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह मय हमराह उज्ज्वल पाण्डेय व आरक्षी शाकिर अली द्वारा छोटा रैकवार पुत्र भवानीदीन निवासी गोहानी कला थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 25 अदद देशी शराब पाउच के साथ गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 आबाकरी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). आज दिनाँक 1912.2024 को महाकुम्भ 2025 के दृष्टिगत में जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जीएन व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा विधि विधान से कलश पूजा एवं हरी झंडी दिखाकर रोड शो रैली को रवाना किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ- 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। आज इस रैली के माध्यम से जनपद के सभी लोगों से आग्रह किया गया है की अधिक से अधिक महाकुंभ प्रयागराज पहुंचकर लोग स्नान करें उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मुख्य स्नान पर्व 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, तथा धार्मिक नगरी चित्रकूट से मां मंदाकिनी का जल एकत्र करके महाकुंभ प्रयागराज में भेजा जा रहा है जो प्रयागराज में समाहित होगा उस कलश का भी विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया है, उन्होंने कहा कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोस्थली है यहां पर भी महाकुंभ प्रयागराज से श्रद्धालु स्नान करके काफी संख्या में आएंगे यहां पर भी जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, रेन बसेरा आदि सुविधाओं की भी व्यवस्था कराई गई है ताकि धर्मनगरी चित्रकूट में किसी भी श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो।
रोड शो रैली में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कर्वी की छात्राएं, गोपाल हिंदी संस्कृत पाठशाला रसिन के वेदाचार्य, पीआरडी जवान, युवक /महिला मंगल दल के सदस्य, स्पोर्ट्स पर्सन के छात्र-छात्राएं तथा कामधेनु गौ माता द्वितीय मुखारविंद चित्रकूट धाम परिक्रमा मार्ग के गोपाल दास जी महाराज के साथ अन्य साधु संत शामिल रहे।
रैली के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री अनुपम श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव, अग्रणि जिला प्रबंधक इंडियन बैंक श्री अनुराग शर्मा, सफाई निरीक्षक श्री कमला कान्त शुक्ला, आर आई श्री राहुल पांडेय सहित छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

(5). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री अरविन्द कुमार वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये माह अगस्त में कुल 16 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 05 लाख 99 हजार 782 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध मे पीडित 16 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर कुल 05 लाख 99 हजार 782 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 16 पीडितों के कुल 05 लाख 99 हजार 782 रुपये बरामद कराया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है आँन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। अतः आँन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके। जनपदीय साइबर सेल द्वारा लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुक किया जाता हैं एवं साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अथक प्रयास करते हुये सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की धनराशि वापस करायी जाती है।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(6). जिला न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम, जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी०एन० एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, सीजीएम राजेंद्र प्रसाद भारती, सचिव/अपर जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण नीलू मेनवाल ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

न्यायाधीश महोदय द्वारा महिला बैरक में निरुद्ध महिला कैदियों, चिकित्सालय एवं पाकशाला (रसोई घर) हाई सिक्योरिटी, हाता नंबर तीन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे निरुद्ध कैदियों के कक्ष का निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने महिला बैरक का निरीक्षण के दौरान निरुद्ध महिला कैदियों से खानपान व समस्याओं के बारे में जानकारी लिए एवं शहृदय भावना से निरूध महिला कैदियों के बच्चों को चॉकलेट भी वितरण किये, तत्पश्चात महोदय कहा कि निरुद्ध बालिकाएं कि ऑनर्स कोर्स की परीक्षा हो तो टाइम टेबल के मुताबिक उनको परीक्षा में जाने दिया जाए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री गया प्रसाद निषाद से कहा कि जिनके पास सरकारी वकील नहीं है उनका प्रार्थना पत्र भिजवाए।

तत्पश्चात उन्होंने अस्पताल वार्ड का निरीक्षण किया एवं कैदियों से उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी लिए एवं निर्देशित किया कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करते रहें। हाई सिक्योरिटी में कैदियों से समस्याओं के बारे में जानकारी तथा पाकशाला का निरीक्षण किया जहां मीनू के हिसाब से भोजन बनते हुएं पाई गई। जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार शुद्धता के साथ दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। तथा कहा कि ठंड का समय है, ठंड से संबंधित कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराए।

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक श्री शशांक पांडेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनाँक 19.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 2625/2009 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र श्री सोहन निवासी बेलोहन पुरवा रूकमा खुर्द थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनांक 19.12.2024 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 656/2011 धारा 323,325,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अयोध्या पुत्र कल्लू निवासी कंधईपुर मजरा चकौध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 6500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।